

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक- 16/11/20

विषय- विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की विभिन्न कार्यों के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल ₹ 22,94,469/- (बाईस लाख चौरानवे हजार चार सौ उनहत्तर रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, भागलपुर के द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाईन अधियाचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की निम्न कार्यों के क्रियान्वयन हेतु कुल ₹ 22,94,469/- (बाईस लाख चौरानवे हजार चार सौ उनहत्तर रुपये) मात्र का व्यय की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदान की जाती है :-

क्रमांक	भवन प्रमंडल का नाम	अधियाचना आई0डी0 संख्या	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या / दिनांक	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए व्यय हेतु स्वीकृत राशि
1.	भवन प्रमंडल, भागलपुर	29566	Repair of Outer Part Front Side of Main Building and B.C.E Department Building in B.C.E Bhagalpur for the Year 2025-26	1389 / 15.09.25	₹9,06,507/- (नौ लाख छः हजार पाँच सौ सात रुपये)
2.		29560	Repairing, Painting work of Electrical Department and Tiles work at B.C.E Bhagalpur for the Year 2025-26	1402 / 20.09.25	₹ 5,56,299/- (पाँच लाख छपून हजार दो सौ निन्यानवे रुपये)
3.		29569	Repairing, Painting and Tiles work of Back Side in Electrical Department Main Building in B.C.E Bhagalpur for the Year 2025-26	1404 / 20.09.25	₹8,31,663/- (आठ लाख इक्तीस हजार छः सौ तिरसठ रुपये)
कुल योग:-					₹22,94,469 /-

(बाईस लाख चौरानवे हजार चार सौ उनहत्तर रुपये)

- उक्त कार्य पर राशि का व्यय मांग संख्या-03 के मुख्यशीर्ष-2059-लोक निर्माण कार्य उपमुख्यशीर्ष-80- सामान्य, लघु शीर्ष-053-रख रखाव तथा मरम्मत उपशीर्ष-0018-इंजिनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय और संस्थानों के भवनों का अनुस्क्षण एवं मरम्मत (विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग) विपत्र कोड-03-2059800530018 के विषयशीर्ष-27-लघु कार्य-0018.27.02-अनुस्क्षण एवं मरम्मत में उपबंधित राशि से वित्तीय वर्ष 2025-26 में किया जाएगा।
- इस राशि के निकाली एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, भागलपुर होंगे।
- इस राशि की निकाली जिला कोषागार, भागलपुर से की जायेगी।
- प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
- स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटन की कार्यवाही सी.एफ.एम.एस.एम. के माध्यम से की जा रही है।

(राजेश कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।